



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



18 आश्विन, 1945 (श०)

संख्या - 598 राँची, मंगलवार,

10 अक्टूबर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

संकल्प

18 सितम्बर, 2023

संख्या-5/आरोप-1-92/2016-24158 (HRMS)--श्री बिनय कुमार, झा०प्र०से० (द्वितीय 'सीमित' बैच), तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विश्रामपुर, पलामू के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1809, दिनांक 04.08.2016 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध मनरेगा अंतर्गत डोभा निर्माण में शिथिलता बरतने तथा लक्ष्य के अनुरूप कार्य नहीं करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-7468, दिनांक 29.08.2016 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की माँग की गयी है। उक्त के अनुपालन में श्री कुमार के पत्रांक-675, दिनांक 14.09.2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है। श्री कुमार द्वारा स्पष्टीकरण में प्रतिवेदित है कि उप विकास आयुक्त, पलामू द्वारा प्रतिवेदन में विश्रामपुर प्रखण्ड अन्तर्गत 95 ग्राम दिखाया गया है, जबकि वहाँ 64 राजस्व ग्राम है। वर्ष 2010 में ही छः ग्राम पंचायत की 31 राजस्व ग्राम नगर पंचायत विश्रामपुर में परिवर्तित हो गये हैं। फलस्वरूप वहाँ मनरेगा कार्य बंद है। क्रम सं०-1 में लगाये गये आरोप में संभवतः भूलवश ऊंटारीरोड प्रखण्ड का डोभा निर्माण का लक्ष्य 15 जून तक 140 डोभा करने एवं 30.05.2016 तक 14 डोभा निर्माण का प्रतिवेदन दिखाया गया है।

जबकि उप विकास आयुक्त, पलामू के द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन में विश्रामपुर प्रखण्ड अन्तर्गत 95 राजस्व ग्राम दिखाते हुए 475 डोभा करने एवं 52 डोभा निर्माण पूर्ण दर्शाया गया है। दिनांक 30.05.2016 को मुख्य सचिव महोदय द्वारा किये Video Conferencing में विश्रामपुर प्रखण्ड का डोभा में खराब प्रदर्शन उक्त त्रुटि के कारण दिखायी दे रहा था। विश्रामपुर प्रखण्ड का अनुपातिक प्रदर्शन जिले के संतोषजनक पाये गये अन्य प्रखण्डों से बेहतर रहा है ।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि विभागीय पत्र सं०-842, दिनांक 10.05.2016 द्वारा प्रत्येक राजस्व ग्राम में 05-05 डोभा कुल 140 निर्माण कार्य पूर्ण करना था। परन्तु मुख्य सचिव महोदय के समीक्षा दिनांक 30.05.2016 तक मात्र 52 डोभा निर्माण कार्य पूर्ण किया था। आरोपी पदाधिकारी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में प्रतिवेदित है कि प्रखण्ड क्षेत्र के 31 राजस्व ग्राम नगर पंचायत के क्षेत्र में चले जाने एवं उक्त त्रुटि का मनरेगा वेबसाईट पर दूर नहीं किये जाने के कारण ही प्रगति प्रतिवेदन में भिन्नता थी ।

प्रत्येक राजस्व ग्राम में 05-05 डोभा निर्माण हेतु दिनांक 10.05.2016 को निर्गत विभागीय आदेश के 20 दिन पश्चात् दिनांक 30.05.2016 तक 52 डोभा निर्माण कार्य पूर्ण किया जाना निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप संतोषजनक उपलब्धि नहीं है, परन्तु इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि मनरेगा अन्तर्गत किसी भी योजना को प्रारंभ करने एवं पूर्ण करने में समयावधि की आवश्यकता होती है ।

अतः समीक्षोपरांत श्री बिनय कुमार, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विश्रामपुर, पलामू को चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री बिनय कुमार, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	BINAY KUMAR JHK/JAS/232	श्री बिनय कुमार, झा०प्र०से०, (द्वितीय 'सीमित' बैच) तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, विश्रामपुर, पलामू को चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/3601
